भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
**INDIAN COUNCIL OF FORESTRY RESEARCH AND EDUCATION**
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था)
**(An Autonomous body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)**
पो0 ओ0 न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248006 (उत्तराखण्ड)
**P. O. New Forest, Dehradun – 248006 (Uttarakhand)**

---

No. 3-21/2022/BCC/ICFRE/ Dated: 06/10/2022

## Corrigendum

**Subject: Extension of Last Date for selection of "Chair of Excellence (Climate Change)"**

Applications were invited for selection of "Chair of Excellence (Climate Change)". Full details of the advertisement are given in the next page.

It is informed that the last date for submission of the applications invited for selection of "Chair of Excellence (Climate Change)" has been extended till **30 October 2022**.

All other terms and conditions of the advertisement for "Chair of Excellence (Climate Change) remain unchanged.

-sd-
Assistant Director General
Biodiversity and Climate Change Division
Indian Council of Forestry Research and Education
P.O. New Forest, Dehradun, Uttarakhand – 248006 (INDIA)

**सं0 3–21/2022/बी.सी.सी./भा.वा.अनु.शि.प./**
**अंतर्राष्ट्रीय सहयोग निदेशालय**
**भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्**
**पो.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248 006 (उत्तराखण्ड)**

दिनांकः 06 अक्टूबर 2022

## चेयर ऑफ एक्सीलैंस (जलवायु परिवर्तन) हेतु विज्ञापन

### 1. स्थापना के सामान्य उद्देश्यः

**चेयर ऑफ एक्सीलैंस (i) जलवायु परिवर्तन**

क) जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भा.वा.अनु.शि.प. में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षाविदों और पेशेवरों को शामिल करना।
ख) जलवायु परिवर्तन पर मौजूदा शोध कार्य की समीक्षा करना।
ग) अनुसंधान और शिक्षा के संबंधित क्षेत्रों में क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पैदा करना।
घ) जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम कर रहे छात्रों और युवा शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन करना।
ड) वैज्ञानिक की अपने शोध के लिए संसाधनों को आकर्षित करने की क्षमता विकसित करने के लिए।
च) सहयोगी अनुसंधान गतिविधियों को मजबूत करना।

### 2. चेयर ऑफ एक्सीलैंस की स्थापना

चेयर ऑफ एक्सीलैंस, भा.वा.अनु.शि.प. (मुख्यालय) में निम्नानुसार स्थापित की जाएगीः–

| क्र.सं. | चेयर ऑफ एक्सीलैंस | भा.वा.अनु.शि.प./प्रभाग |
|---|---|---|
| 1. | जलवायु परिवर्तन | निदेशक (अ.स.), भा.वा.अनु.शि.प. (मुख्यालय) |

### 3. चेयर ऑफ एक्सीलैंस के उद्देश्य और कार्य दायरा :

**3.1 जलवायु परिवर्तनः**

जलवायु परिवर्तन आज के शोध के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। यह अनुभव किया गया तथ्य है कि आजकल जलवायु परिवर्तन की गतिविधियाँ अधिक तीव्र हो रही हैं, जो कि प्राकृतिक कारणों से नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन गतिविधियों के कारणों में कई कारण शामिल हैं जैसे वनों की कटाई, विकासात्मक गतिविधियाँ जैसे मोटर योग्य सड़कों और भवनों का निर्माण, औद्योगीकरण के कारण ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन और साथ ही जीवाश्म ईंधन का जलना। पृथ्वी इन्फ्रा–रेड विकिरणों के रूप में ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, गैसें इसे पृथ्वी की सतह के पास ग्रीनहाउस प्रभाव की तरह गर्मी में फंसाकर अवशोषित करती हैं जिससे पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है।

जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण दुनिया भर में रेगिस्तानों का विस्तार, स्थायी ग्लेशियरों का पिघलना हो रहा है। विभिन्न कारकों की बदलती जलवायु सीमा के कारण सूखे और तूफान अब सामान्य हैं। यह विलुप्त होने वाले कई पुष्प और जीव तत्वों के अस्तित्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने जलवायु परिवर्तन को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। इसलिए, इस दिशा में हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करने, वनीकरण और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संरक्षण उपायों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के वैश्विक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, परिषद जलवायु परिवर्तन में उत्कृष्टता के अध्यक्ष की सहायता से इसके शमन के लिए कुछ कार्य योजना के साथ आ सकती है।

**3.1.1 उद्देश्य :**

क) विभिन्न संगठनों में किए जा रहे जलवायु परिवर्तन में मौजूदा अनुसंधान गतिविधियों का गहन विश्लेषण करने के लिए, संगठनात्मक स्तर पर उनके अंतर–संबंध और अनुसंधान की प्रयोज्यता।
ख) विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन अनुसंधान के क्षेत्र में विकसित नई प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं की पहचान करना और भा.वा.अनु.शि.प. में अनुसंधान के उन्नयन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और भारत में उन्हें अपनाने के लिए रणनीतियों का सुझाव देना।

ग) परिषद के लिए निश्चित डिलिवरेबल्स के साथ एक दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन सहयोगी अनुसंधान योजना विकसित करना।

**3.1.2 सेवाओं का दायरा, कार्य (घटक) और अपेक्षित डिलिवरेबल्स :**

क) देश में वनों और जैव विविधता के जलवायु परिवर्तन प्रभाव, कमजोरियों, अनुकूलन और शमन पहलुओं पर एक व्यापक रिपोर्ट और प्रकाशन लाना।

ख) जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में वन की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना और वनों और जलवायु परिवर्तन (प्रभाव, कमजोरियों, अनुकूलन और शमन आदि) के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए सुझाव / रोड–मैप तैयार करना।

ग) भारत में वन, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं के निर्माण की पहचान करना।

घ) वन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उनके कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भा.वा.अनु.शि.प. की वैज्ञानिक जनशक्ति के लिए मानव संसाधन विकास योजना तैयार करना।

ड) वन, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर एफआरआई डीम्ड विश्वविद्यालय के छात्रों को विशिष्ट शैक्षणिक योगदान प्रदान करना।

**4. पात्रता मापदंड :**

**4.1 आवश्यक योग्यताएं :**

क) वानिकी अनुसंधान / शैक्षणिक पेशेवर डॉक्टरेट के साथ और संबंधित क्षेत्र में 15 साल का अनुभव।

या

भारतीय वन सेवा में 15 वर्ष की सेवा के साथ परास्नातक जिसमें से जलवायु परिवर्तन के विशेष संदर्भ में वानिकी अनुसंधान / शिक्षाविदों में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।

ख) जलवायु परिवर्तन के विशेष संदर्भ में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशन।

ग) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परियोजना के निर्माण और सफल कार्यान्वयन में अनुभव और परियोजनाओं की निगरानी में अनुभव।

घ) सरकार के साथ काम करने का अनुभव। भारत के संगठन और सरकारी / गैर–सरकारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ नेटवर्किंग।

ड) 31/12/2021 को आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. वन, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अत्यधिक योग्य और उच्च अनुभवी पेशेवर के लिए आयु में छूट का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

**4.1.2 वांछनीय योग्यता :**

क) प्रासंगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मान्यता।

ख) विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक परिषदों / निकायों के सदस्य / साथी।

ग) जीआईएस और आईटी आधारित समाधान सहित आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों में अनुभव।

**5. राष्ट्रीयता :** चेयर ऑफ एक्सीलैंस के लिए नियुक्त व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा।

**6. लेखांकन प्रक्रिया :** लेखांकन प्रक्रिया चेयर ऑफ एक्सीलैंस की स्थापना के लिए भा.वा.अनु.शि.प. कोष फंड के नियमों के अनुसार होगी।

**7. मानदेय और सुविधाएं :**

क) चेयर ऑफ एक्सीलैंस को भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक चेयर फेलोशिप के रूप में होगा।

ख) फेलोशिप की राशि रुपये की समेकित राशि रू0 1,25,000/– प्रति माह होगी। कर आदि की कटौती भारत सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार की जाएगी।

ग) फेलोशिप का भुगतान भा.वा.अनु.शि.प. (मुख्यालय) द्वारा किया जाएगा।

घ) उपलब्धता के अनुसार, छात्रावास/परिसर में सामान्य शुल्क के भुगतान पर अध्यक्ष को आवास उपलब्ध कराया जा सकता है।

ड) चेयर ऑफ एक्सीलैंस को भा.वा.अनु.शि.प. नियमों के अनुसार यात्रा व्यय की अनुमति होगी।
च) चेयर ऑफ एक्सीलैंस को संबंधित निदेशालय द्वारा कार्यालय स्थान और सचिवालय सहायता प्रदान की जाएगी।

**8. समीक्षा :**
क) चेयर ऑफ एक्सीलैंस को सौंपे गए कार्य की प्रगति/प्रदर्शन की समीक्षा एक समीक्षा समिति द्वारा की जाएगी। समीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार होगा :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | उप महानिदेशक (शिक्षा) | अध्यक्ष |
| 2. | निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) | सदस्य |
| 3. | विषय पर भा.वा.अ.शि.प. के वरिष्ठ वैज्ञानिक (महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. द्वारा मनोनीत किया जाना है) | सदस्य |
| 4. | सहायक महानिदेशक (शिक्षा एवं भर्ती बोर्ड) | सदस्य सचिव |

ख) चेयर ऑफ एक्सीलैंस द्वारा निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) को प्रस्तुत त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर तिमाही समीक्षा आयोजित की जाएगी। समीक्षा रिपोर्ट महानिदेशक, भा.वा.अनु.शि.प. को प्रस्तुत की जाएगी।

**9. सामान्य परिस्थितियां :**
क) चेयर ऑफ एक्सीलैंस द्वारा भा.वा.अनु.शि.प. और चेयर ऑफ एक्सीलैंस पर नियुक्त व्यक्ति के बीच समझौते के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
ख) चेयर ऑफ एक्सीलैंस की अवधि 12 महीने की होगी और महानिदेशक, भा.वा.अनु.शि.प. द्वारा अधिकतम 12 महीने तक बढ़ाई जा सकती है।
ग) चेयर ऑफ एक्सीलैंस दो महीने की अग्रिम सूचना देकर अपना पद छोड़ सकते हैं।
घ) यदि चेयर ऑफ एक्सीलैंस का कार्य संतोषजनक नहीं है, तो महानिदेशक, भा.वा.अनु.शि.प. द्वारा अध्यक्ष की अवधि में कटौती की जा सकती है।
ड) चेयर ऑफ एक्सीलैंस का मुख्यालय भा.वा.अनु.शि.प. (मुख्यालय) में होगा।
च) चेयर ऑफ एक्सीलैंस द्वारा विकसित सभी सामग्री, मॉड्यूल, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम आदि, भा.वा.अनु.शि.प. की संपत्ति होंगे।

**10. छूट :** इन दिशानिर्देशों के किसी भी खंड में संशोधन/निरस्त करने की शक्तियां महानिदेशक, भा.वा.अनु.शि.प. के पास निहित होंगी।

**11. मध्यस्थता :** किसी भी विवाद के मामले में, महानिदेशक, भा.वा.अनु.शि.प. एकमात्र मध्यस्थ होगा। इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों या अन्यथा से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद पीठ के मुख्यालय के अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालयों के अधीन होंगे।

**आवेदन कैसे करें :** इच्छुक व्यक्ति निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग), भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, पी. ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248 006 (उत्तराखंड), को पूर्ण बायोडाटा आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभवों के दस्तावेजों व 1000/– रुपये की गैर–वापसी योग्य शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट/चेक (सममूल्य पर) के रूप में डीडीओ, भा.वा.अनु.शि.प. राजस्व खाते के पक्ष में, देहरादून में देय हो) के साथ जमा करें।

**आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि :** 30/10/2022

**अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण (यदि कोई हो) के लिए, कृपया संपर्क करें :**

सहायक महानिदेशक (जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन)
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
पो.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248 006
दूरभाष : 01352224823, ईमेलः adg_bcc@icfre.org

No. 3-21/2022/BCC/ ICFRE/
Directorate of International Cooperation
Indian Council of Forestry Research and Education
P.O. New Forest, Dehradun – 248 006 (Uttarakhand)

Dated: 06 October 2022

**ADVERTISEMENT FOR "CHAIR OF EXCELLENCE (CLIMATE CHANGE)"**

**1. General Objectives of Establishment:**

**Chairs of Excellence on (i) Climate Change**

a) To engage high quality academicians and professionals in ICFRE in the field of climate change.
b) To review the existing research work on climate change.
c) To create regional, national and international impact in the concerned areas of research and education.
d) To guide students and young researchers working in field of climate change.
e) To develop the ability of scientist to attract resources for their research.
f) To strengthen collaborative research activities.

**2. Establishment of the Chairs of Excellence:**

The Chair of Excellence will be established in the ICFRE (Hq.) as below

| S. No. | **Chair of Excellence** | **ICFRE Institute/Division** |
|---|---|---|
| 1. | Climate Change | Director (IC), ICFRE (HQ) |

**3. Objectives and Scope of Work of the Chair of Excellence:**

**3.1 Climate Change:**

Climate Change is one among the most important issues of the present-day research. It is an observed fact that now a days the Climate Change activities become more rapid but not due to natural causes. The causes for climate change activities involve many reasons such as deforestation, developmental activities such as construction of motorable roads and buildings, emission of greenhouse gases due to industrialization as well as burning of fossil fuels. The earth emits heat as Infra-Red radiations, the gases absorb it by trapping heat near the earth surface like greenhouse effect which raises the temperature of earth's atmosphere.

The adverse effects of Climate Change causing expansion of deserts, melting of permanent glaciers all over the world. Droughts and storms are now common due to changing climate limits of various factors. It is also adversely affecting the survival of the many floral as well as faunal elements causing extinction. The World Health Organisation (WHO) highlighted the Climate Change as the greatest threat to global health. Hence, efforts are required at regional,

national and international levels to boost up the conservation measures to minimise the emission of harmful gases, promote afforestation and other activities in this direction. Keeping in view the global perspective of Climate Change, council may come up with certain action plan for mitigation of the same with the help of Chair of Excellence in Climate Change.

**3.1.1 Objectives:**

a) To carry out an in-depth analysis of the existing research activities in climate change being carried out in different organizations, their inter-linkages and applicability of the research at organizational level.

b) To identify new technologies and processes, developed in the field of climate change research globally and suggest appropriate technologies for upgradation of the research in ICFRE and strategies for their adoption in India.

c) To develop a long-term climate change collaborative research plan for the Council with definite deliverables.

**3.1.2. Scope of Services, Tasks (Components) and Expected Deliverables:**

a) Bringing out a comprehensive report(s) and publication(s) on climate change impact, vulnerabilities, adaptation and mitigation aspects of forests and biodiversity in the country.

b) Analyze the current status of forest *w.r.t.* climate change and suggest/ prepare a road-map for research in the field of forests and climate change (impacts, vulnerabilities, adaptation and mitigation etc.)

c) Identify the priority areas of research on forest, biodiversity and climate change in India and formulation of collaborative research projects.

d) Prepare a human resource development plan for the scientific manpower of ICFRE to upscale their skills and capacities in the field of forest and climate change.

e) Provide specific academic inputs to FRI Deemed University students on forest, biodiversity and climate change.

**4. Eligibility Criteria:**

**4.1 Essential Qualifications:**

a) Forestry research/ academic professionals with doctorate and 15 years of experience in relevant field.

**OR**

Masters with 15 years of service in Indian Forest Service out of which a minimum of 5 years' experience in forestry research/ academics with special reference to climate change.

b) Publications in reputed national and international journals with special reference to climate change.

c) Experience in formulation and successful implementation of national/ international level project and experience in monitoring of the projects.

d) Experience of working with Govt. of India organization and networking with Government/ Non-Governmental national and international organizations.

*e)* Age not more than 65 years as on 31/12/2021. *However, DG, ICFRE reserve the right to relax the age for highly qualified and highly experienced professional in the field of forest, climate change.*

**4.1.2 Desirable Qualifications:**

a) National/ international recognition in relevant field.

b) Member/ fellow of various national and international academic councils/ bodies.

c) Experience in modern scientific techniques including GIS & IT based solution.

**5. Nationality:** The person appointed to the Chair will be Indian national.

**6. Accounting Procedure:** The accounting procedure shall be as per Rules for "ICFRE Corpus fund for establishment of Chairs of Excellence"

**7. Honorarium and Facilities:**

a) The remuneration to be paid to the Chair shall be in the form of Chair Fellowship.

b) The amount of the fellowship shall be a consolidated amount of Rs. 1,25,000/- per month. Taxes etc. shall be deducted as per prevalent rules of the Government of India.

c) The fellowship shall be paid by the ICFRE (HQ).

d) Subject to availability, accommodation may be provided to the Chair in the hostels/ campus on usual payment of fees.

e) The Chair shall be allowed travelling expenses as per ICFRE Rules.

f) The Chair shall be provided office space and secretariat assistance by the concerned Directorate.

**8. Review:**

a). The progress/ performance of the work, assigned to the Chair shall be reviewed by a Review Committee. The constitution of the Review Committee shall be as below:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Deputy Director General (Education) | Chairman |
| 2 | Director (International Cooperation) | Member |
| 3 | Senior Scientist of ICFRE on the subject<br>(to be nominated by DG, ICFRE) | Member |
| 4 | Assistant Director General (Edu. & RB) | Member Secretary |

b). The review shall be conducted quarterly based on the Quarterly Progress Report furnished by the Chair to the Director (International Cooperation). The review report should be submitted to DG, ICFRE.

**9. General Conditions:**

a) A memorandum of agreement shall be signed by the Chair between the ICFRE and the person appointed to the Chair.

b) The duration of the Chair shall be up to the period of 12 months and extendable by a maximum period of up to 12 months by DG, ICFRE.

c) The Chair may leave the position giving two-month advance notice.

d) The duration of the Chair may be curtailed by the Director General, ICFRE, if the performance of the Chair is not satisfactory.

e) Head Quarter of the chair shall be at the ICFRE (HQ).

f) All the materials, modules, course curricula etc., developed by the Chair shall be the property of the ICFRE.

**10. Relaxation:** Powers to amend/ repeal any of the clauses of these guidelines shall vest with the Director General, ICFRE.

**11. Arbitration:** In case of any dispute, DG, ICFRE shall be the sole arbitrator. All the disputes arising out of the provisions of these guidelines or otherwise shall be subject to Courts with jurisdiction of the Headquarters of the Chair.

**How to apply:** The interested persons are to send their curriculum vitae along with all necessary documents in support of qualifications and experiences etc. to the Director (International Cooperation), Indian Council of Forestry Research and Education, P.O. New Forest, Dehradun – 248 006 (Uttarakhand), along with non-refundable fee of Rs. 1000/- in the form of a demand draft/ Cheque (at par) in favour of DDO, ICFRE Revenue Account, payable at Dehradun.

**Last date for submission of application:** 30/10/2022.

**For further details and clarification (if any), please contact:**

Assistant Director General (Biodiversity and Climate Change)
Indian Council of Forestry Research and Education
P.O. New Forest, Dehradun – 248 006
Phone No. 01352224823, Email: adg_bcc@icfre.org